नगर पंचायत सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2014 से 03/2016

भाग—एक

1 **प्रारम्भिकः—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1—376/81—फिन(एल0ए0)खण्ड—IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों/नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/2014 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत, सरकाघाट में निम्नलिखित अध्यक्ष व सचिव कार्यरत रहेः—

अध्यक्ष

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती निशा ठाकुर	01.04.2014 से 31.01.2016
2	श्रीमती प्रेम कुमारी ठाकुर	01.02.2016 से 31.03.2016

सचिव

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	श्री ओम प्रकाश शर्मा	01.04.2014 से 19.06.2015
2	श्री पवन कुमार शर्मा (अतिरिक्त प्रभार)	20.06.2015 से 02.09.2015
3	श्री विनोद कुमार शर्मा (अतिरिक्त प्रभार)	03.09.2015 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

नगर पंचायत, सरकाघाट के लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2016 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	सावधि जमा योजना पर कम ब्याज देने के कारण हानि	5	0.16
2	अनुदानों का उपयोग न करना	6 (क व ख)	928.49
3	स्वः स्त्रोतों से लम्बित आय की वसूली न करना	7 (क)	59.40
4	निर्माण कार्य में संविदाकार से 579 बैग सीमेन्ट की वसूली न करना	8	1.33
5	संविदाकार को गलत गणना के कारण अधिक भुगतान करना	9	0.26
6	गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	11	0.18
7	स्टॉक में पड़े 719 बैग सीमेन्ट व अन्य अनियमितताओं के सन्दर्भ में	14	–
8	मलिन बस्ती में रहने वालों को मकान निर्माण हेतु जारी राशि का सम्भावित दुरूपयोग	16	17.75
9	कटौती किये गये लेबर सैस को जमा न करवाना	17	0-67

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन वर्तमान अंकेक्षण में करने उपरान्त लम्बित पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "1"** पर दर्शाई गई है। नगर पंचायत द्वारा दीर्घकाल से लम्बित चले आ रहे अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर कोई ठोस कार्यवाही न करना अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर पंचायत द्वारा वर्षों से लम्बित चले आ रहें पैरों के सम्पूर्ण निपटारे हेतु ठोस कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि दीर्घकाल से लम्बित पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर पंचायत सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2014 से 03/2016 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी एवं श्री

नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनाँक 26.12.2016 से 31.12.2016 तक एवं श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा 01.01.2017 से 07.02.2017 तक नगर पंचायत के कार्यालय में किया गया।

अंकेक्षण में विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
1	2014–15	03/2015	06/2014
2	2015–16	10/2015	09/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत सरकाघाट के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध ही न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर पंचायत सरकाघाट के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹34800 आँका गया है। सचिव को अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 23/2017 दिनांक 07.02.2017 के द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने का अनुरोध किया गया।

नगर पंचायत द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, सरकाघाट शाखा के ड्राफ्ट संख्या 174699 दिनाँक 01.03.2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा, परीक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) सचिव, नगर पंचायत सरकाघाट, जिला मण्डी द्वारा प्रदत्त सूचना एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत/उपलब्ध करवाये गये अभिलेख अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 के दौरान नगर पंचायत के लेखाओं (स्वः स्त्रोत एवं विभिन्न अनुदान राशियाँ) का रख रखाव संकलित रूप से एक ही रोकड़ बही में किया जा रहा है, जिसकी वित्तीय निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ	योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	60691027	116739029	177430056	56944877	120485179
2015–16	120485179	14668691	135153870	28988499	106165371

(i)	दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही अनुसार शेष	₹106165371
(ii)	दिनांक 31.03.2016 को बचत खातों में अन्तशेष	₹65811620
	दिनांक 31.3.2016 को सावधि जमा खातों का अन्तशेष	₹42638626
	कुल जमा राशि	₹108450246
	अन्तर	₹2284875

(ख) विभिन्न बैंक खातों में दिनाँक 31.3.2016 को जमा शेष राशि का विवरणः–

क्र0सं0	बैंक का विवरण	खाता सं0	दिनाँक 31.03.2016 को अन्तशेष (₹)
1	एच डी एफ सी बैंक	87214	220766
2	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स	1001667	2046829
3	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	4678	2317
4	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	1493	1362467
5	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	7754	282688
6	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	2163	230758
7	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	7866	1119649
8	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	7753	25726
9	यूको बैंक	18	33549
10	हिमाचल ग्रामीण बैंक	97658	207191
11	केनरा बैंक	1000167	6643343
12	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	6380	15366244
13	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	5301	3313512
14	एच0डी0एफ0सी0 बैंक	25477	2709560
15	यूको बैंक	11294	784534
16	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स	2893	8976236
17	पंजाब नैशनल बैंक	69300	1329309.85

18	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	5225	39545
19	डाकघर बचत खाता	20771985	736.15
20	पंजाब नैशनल बैंक	20829	10491386
21	ओरिएन्टल बैंक ऑफ रामर्स	41000376	10625274
		योग	**65811620**

(ग) बैंक समाधान विवरणः—

विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही अनुसार शेष	106165371
जमाः	
चैक जारी किये गये लेकिन 31.03.2016 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये	42576
जमाः	
सावधि जमा में प्राप्त ब्याज की राशि जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई	2276876
घटाएँ	
चैक बैंक में जमा किये गये किन्तु क्रेडिट 31.03.2016 के बाद प्राप्त हुआ	30019
घटाएँ	
कनिष्ठ अभियन्ता श्री अजय शर्मा को दी गई अग्रिम राशि	5000
जमाः	
अन्तर की राशि (विभिन्न तिथियों को बैंक में अधिक जमा राशि)	442

नोटः— बैंक समाधान विवरण का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।

(घ) निवेशः—

नगर पंचायत सरकघाट में दिनाँक 31.3.16 को ₹42638626 का निवेश सावधि जमा योजना में किया गया था। निवेश का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–6"** में संलग्न है।

जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि से सम्बन्धित अभिलेख/निवेश रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है एवं निवेश का विवरण केवल रोकड़ बही में ही दिया जा रहा है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सावधि जमा में निवेशित राशि से सम्बन्धित निवेश रजिस्टर का रख रखाव सुनिश्चित करते हुये कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति, विभिन्न बैंकों में जमा शेष राशि, सावधि जमा में निवेशित राशि व बैंक समाधान विवरण का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट क्रमशः 2, 3, 6 व 4"** में दिया गया है।

5 सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशि पर कम ब्याज देने के कारण नगर पंचायत को ₹0.16 लाख की वित्तीय हानिः–

नगर पंचायत द्वारा सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशि से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, सरकाघाट शाखा द्वारा नगर पंचायत की राशियों को जिस ब्याज दर पर सावधि जमा योजना में निवेशित किया गया था, उस दर से कम ब्याज का क्रेडिट दिया गया था, जिस कारण नगर पंचायत को ₹15583 की वित्तीय हानि उठानी पड़ी, जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्नलिखित हैः–

	एफ0डी0आर0 नम्बर	**दिनाँक**	**निवेशित राशि**	**ब्याज दर**	**परिपक्वता तिथि**	**परिपक्वता राशि जो दी गई**	**परिपक्वता राशि जो देय थी**	**कम प्राप्त ब्याज**	**टिप्पणी**
(i)	32330102580	11.04.13	79080	9%	11.4.15	93700	94487	787	यह एफ0डी0आर0 दो बार एक–एक वर्ष की अवधि हेतु बनाई गई थी एवं ब्याज की दर 9% ही थी
(ii)	32330102580	11.4.15	93700	8.8%	11.4.16	102221			
	क्योंकि क्रम संख्या 1 की एफ0डी0आर0 8.8% की दर से पुनः एक वर्ष के लिए निवेशित की गई थी। अतः निवेशित ₹93700 के स्थान पर ₹94487 होनी थी एवं परिपक्वता ₹103080 होनी थी इस प्रकार कम प्राप्त ब्याज ₹859 बनता है।							859	
(iii)	2466	19.7.13	899312	9%	19.7.15	1068836	1074526	5690	यह एफ0डी0आर0 दो बार 9% दर से एक–2 वर्ष की अवधि हेतु बनाई गई थी
(iv)	2466	19.7.15	1068836	7.5%	19.7.16	1149162	–		
	क्रम संख्या (iii) की एफ0डी0आर0 7.5%की दर से पुनः 1 वर्ष की अवधि हेतु निवेशित							8247	

	थी। अतः निवेशित ₹1068836 के स्थान पर ₹1074526 होनी थी एवं परिपक्वता ₹1157410 बनती थी। इस प्रकार कम प्रकार ब्याज ₹8247 बनता है।								
							योग	15583	

अंकेक्षण द्वारा यह मामला नगर पंचायत प्रशासन से अधियाचना संख्या 002/2017 दिनांक 21.01.2017 द्वारा उठाया गया था किन्तु अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत द्वारा इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अतः बैंक द्वारा कम प्रदान किये गये ब्याज ₹15583 का मामला सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए एवं इस कम प्राप्त ब्याज की राशि को बैंक से वसूली सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ताकि इस वित्तीय हानि की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

6 अनुदानः—

नगर पंचायत सरकाघाट की अंकेक्षणाधीन अवधि 04/2014 से 03/2016 तक प्राप्त अनुदान राशियाँ व व्यय की गई राशियाँ तथा अनुदान राशियों के अन्त शेष वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी, जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–5 व 7 से 9"** में दिया गया हैः–

वर्ष	**अथशेष (₹)**	**प्राप्तियाँ (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2014–15	55304131	111950861	167254992	55006583	112248409
2015–16	112248409	8669493	120917902	28069269	92848633

(कअनुदान ₹462.00 लाख पूर्ववर्ती अवधि से उपयोग हेतु शेषः–

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेख **परिशिष्ट–5** अनुसार दिनांक 31.3.2014 को ₹55304131 की अनुदान राशि शेष थी एवं जिसमें से नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में मात्र ₹9112103 का ही उपयोग किया गया एवं दिनांक 31.03. 2016 को ₹46192028 की अनुदान राशियाँ व्यय नहीं की गई थी। नगर पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान राशियों को इतनी अधिक अवधि तक सम्बन्धित कार्यों पर व्यय न करने के कारण एक ओर जहाँ विकासात्मक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं वहीं लोग भी इनसे होने वाले लाभों से वंचित हो रहे है। अतः लगभग 462 लाख की अनुदान राशियों को प्राप्त उद्देश्यों हेतु इतनी लम्बी अवधि तक व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट

करते हुये, इन राशियों को यथाशीघ्र प्राप्त उद्देश्यों पर व्यय किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान से ₹466.57 लाख उपयोग हेतु शेषः–

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों का विवरण **परिशिष्ट–8 व 9** में दिया गया है। नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2014–15 व 2015–16 में क्रमशः ₹111950861 व ₹8669493 की अनुदान राशियाँ प्राप्त की गई थी एवं जिनमें से दिनाँक 31.03.2016 को क्रमशः ₹42091133 व ₹4565472 की अनुदान राशियाँ शेष अनुपयुक्त थी।

अनुदान राशियों के स्वीकृत पत्रों में दी गई शर्त अनुसार इन राशियों को एक निश्चित समयावधि में व्यय किया जाना अपेक्षित था, किन्तु नगर पंचायत द्वारा अनुदान राशियों को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से लोगों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशियों को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इन उपयुक्त अनुदान राशियों का उपयोग नियमानुसार समयबद्ध सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 स्वः स्त्रोतों से आयः–

नगर पंचायत सरकाघाट की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय की जाँच सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख एवं नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं से करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ पाई गई, जिनका निराकरण अपेक्षित हैः–

(क) ₹59.40 लाख की बकाया राशियों की वसूली हेतु कार्यवाही न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक ₹5940058 गृहकर, दुकानों के किराये एवं मोबाईल टावर शुल्क के रूप में वसूली हेतु लम्बित थी, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट 10ए 11 व 12 के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	शीर्ष	दिनांक 31.3.2016 को लम्बित राशि (₹)
1	गृहकर	3801902
2	दुकानों का किराया	2055656
3	मोबाईल टावर शुल्क	82500
	योग	**5940058**

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः ULB-H(A)-1/87-9237-9284 दिनाँक 20.06.2001 के अनुसार गृहकर एवं अन्य लम्बित राशियों की 100%वसूली करने के आदेश दिये गये थे तथा विफलता पर सम्बन्धित सचिव को उत्तरदायी ठहराया जाना था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा उक्त पत्र के दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही अन्यथा दिनाँक 31.03.2016 को इतनी अधिक राशि वसूली हेतु लम्बित न होती। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि लम्बित राशियों की वसूली हेतु अविलम्ब समुचित पग उठाये जाएँ ताकि स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय को नगर पंचायत के विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर व्यय किया जा सके।

(ख) दुकानों के किराये की बकाया राशि पर 2% की दर से अधिभार न लगाने बारेः–

किराया अनुबन्धों की जाँच में पाया गया कि दुकानों के माहवार किराये का बिल जारी करने के उपरान्त 10 दिनों के अन्दर किराये की राशि यदि जमा नहीं करवाई जाती तो बकाया राशि पर **2%** की दर से अधिभार अधिरोपित किया जाना अपेक्षित था, किन्तु जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2014–15 व 2015–16 में किराये की शेष लम्बित राशि पर अधिभार की माँग नहीं की गई थी जिस बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये उक्त अवधि के लिये किराया अनुबन्धों में वर्णित शर्त अनुसार किराये की बकाया राशियों पर **2%** की दर से अधिभार की माँग व वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ग) दुकानदारों के साथ अनुबन्ध पत्रों का नवीनीकरण न करनाः–

नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा किराये पर दी गई विभिन्न दुकानों के अनुबन्ध पत्रों की जाँच एवं नगर पंचायत प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट–13"** में दिये गये विवरण अनुसार 54 दुकानें/भवन किराये पर दिये गये थे, किन्तु उक्त परिशिष्ट के क्रम संख्या 2, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 27, 33, 46, 49, 51 व 53 मे ंवर्णित किरायेदारों को छोड़कर अन्य के साथ अनुबन्ध का नवीनीकरण नहीं किया गया था, जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये उक्त वर्णित सभी किरायेदारों से अविलम्ब अनुबन्ध पत्रों का नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत

करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में भी यथा समय अनुबन्ध पत्रों का नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाए।

(घ) दुकानों के किराये के रूप में ₹0.08 लाख को माँग व संग्रहण रजिस्टर में कम दर्ज करनाः—

नगर पंचायत के किराये के माँग व संग्रहण रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि दुकानों के किराये के माँग व संग्रहण रजिस्टर में गलत गणना के कारण वर्ष 2014—15 व 2015—16 में ₹8196 की कम माँग निम्नविवरणानुसार दर्ज की गई थीः—

क्र0 सं0	दुकान सं0	माँग व संग्रहण रजिस्टर पृ0सं0	नाम	वास्तविक किराया/ प्रतिमाह	दर्ज किराया प्रतिमाह	कम दर्ज माँग प्रतिमाह	कुब पृ0 सं0	वर्ष	कुल कम माँगी गई राशि
1	3	3	हरी दत्त, सुपुत्र बंशी राम, नवाही	1464	1331	133	01	2014—15	1596
2	7	7	बीरबल राम रामनगर, सरकाघाट	800	726	74	02	2014—15	888
3	7	7	—यथोपरि—	880	800	80	11	2015—16	960
4	31	29	सतीश कुमार रखोह	924	726	198	05	2014—15 व 2015—16	4752
								योग	**8196**

अंकेक्षण द्वारा यह प्रकरण उजागर करने पर सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा इस गलती को ठीक कर दिया गया है तथापि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति रोकने हेतु नगर पंचायत की आंतरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

8 निर्माण कार्य " Strengthing of Drain between ward No. 394 toward khad near Jamsai Park." में संविदाकार से 579 बैग सीमेन्ट ₹1.33 लाख की वसूली न करने के सन्दर्भ मेंः—

नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा निर्माण कार्य Stregthing of Drain between ward No. 394 toward khad near Jamsai Park" का आंकलन पत्र संख्या NP/Works/2011-2460-2461 दिनाँक 09.12.2013 द्वारा श्री रणजीत सिंह को किया गया था। उक्त निर्माण

कार्य के भुगतान बिल/वाउचर संख्या 20 दिनाँक 06.06.2014 ₹656232 एवं माप पुस्तिका संख्या 19 पृष्ठ संख्या 295 से 301 की जाँच में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ पाई गई है, जिनका निराकरण अपेक्षित हैः–

(क) निर्माण कार्य से सम्बन्धित भुगतान बिल एवं माप पुस्तिका में दर्ज खपत विवरण (Consumption Statement) के अनुसार संविदाकार को उक्त कार्य हेतु 600 बैग सीमेन्ट का निम्नविवरणानुसार जारी किया गया था एवं उससे 600 बैग सीमेन्ट की राशि की ही वसूली की गई हैः–

क्र0सं0	**इन्डेन्ट क्रमांक**	**दिनांक**	**जारी सीमेन्ट की मात्रा**	**टिप्पणी**
1	576	03.01.2014	50 बैग	भुगतान बिल व माप पुस्तिका अनुसार यही सीमेन्ट जारी किया गया एवं इसकी वसूली की गई
2	590	15.02.2014	100 बैग	
3	603	28.02.2014	200 बैग	
4	606	20.03.2014	200 बैग	
5	607	21.03.2014	50 बैग	
		योग	**600 बैग**	

अंकेक्षण द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु संविदाकार श्री रणजीत सिंह को जारी सीमेन्ट का मिलान नगर पंचायत के सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर से करने पर पाया गया कि उक्त संविदाकार को इस निर्माण कार्य हेतु स्टोर से दिनांक 17.12.2013 से 18.03.2015 तक कुल 1179 बैग सीमेन्ट निम्नविवरणानुसार जारी किया गया हैः–

क्र0सं0	**इन्डेन्ट क्रमांक**	**इन्डेन्ट जारी करने की तिथि**	**भण्डार से जारी की तिथि**	**जारी मात्रा**	**भण्डार पृ0सं0**	**टिप्पणी**
1	571	17.12.13	17.12.13	75 बैग	10	
2	576	03.01.14	03.1.14	50 बैग	12	
3	594	15.02.14	15.02.14	200 बैग	15	
4	590	15.2.14	17.2.14	100 बैग	16	
5	603	28.02.14	3.3.14	200 बैग	17	
6	606	20.3.14	20.3.14	200 बैग	18	
7	607	21.3.14	21.3.14	200 बैग	19	
8	610	17.4.14	22.4.14	100 बैग	19	

9	647	18.3.15	18.3.15	54 बैग	26
			योग	**1179 बैग**	

अतः सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर से 1179 बैग सीमेन्ट जारी करने के विरूद्ध संविदाकार से मात्र 600 बैग सीमेन्ट के मूल्य की वसूली की गई है तथा इस प्रकार संविदाकार से 579 बैग सीमेन्ट की कम वसूली की गई है एवं संविदाकार को ₹133170 (579x230) का अनुचित लाभ दिया गया है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस बारे में स्पष्टकीरण प्रस्तुत करते हुये अधिक जारी किये गये 579 बैग सीमेन्ट बैग की वसूली संविदाकार से दण्ड ब्याज सहित करने के अतिरिक्त इस अधिक जारी किये गये सीमेन्ट एवं संविदाकार से कम सीमेन्ट की मात्रा की वसूली करने हेतु उत्तरदायी विभागीय अधिकारी के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ख) नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख अनुसार उक्त निर्माण कार्य दिनांक 20.4.2014 को पूर्ण हो गया था, किन्तु जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु इन्डेन्ट संख्या 647 दिनांक 18.3.2015 द्वारा 54 बैग सीमेन्ट जारी किया गया है। कार्य समाप्ति के लगभग एक वर्ष बाद उस कार्य हेतु सीमेन्ट जारी करना एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे विभागीय स्त्तर पर जाँच करने उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ग) नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त वर्णित आबंटन पत्र द्वारा संविदाकार से कितनी प्रमात्रा (R.D.) का काम करवाया गया है के सन्दर्भ में भी वर्तमान अंकेक्षण में नहीं बताया गया। अतः संविदाकार द्वारा यह कार्य कितनी R.D. से कितनी R.D. तक किया गया है, बारे सम्पूर्ण अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(घ) उक्त वर्णित कार्य की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन आदि से सम्बन्धित अभिलेख भी वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 निर्माण कार्यः—"Strengthing of Drain between ward No. 394 toward khed near Jamsai Park RD-00/00 to 00/50" में ठेकेदार/संविदाकार को ₹0.26 लाख का अधिक भुगतान व अन्य अनियमितताओं के सन्दर्भ मेंः—

नगर पंचायत द्वारा निर्माण कार्य "Strengthing of Drain ward No. 394 toward khed near Jamsai Park RD-00/00 to 00/50" का आंबटन पत्र संख्या N.P./works/2011-2451-2452 दिनांक 09.12.2013 द्वारा श्री संजय कुमार राणा को आबंटित किया गया था। उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित भुगतान बिल वाउचर संख्या 26 दिनाँक 09.06.2014 की जाँच में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं, जिनका निराकरण अपेक्षित हैः–

(क) नगर पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य की L.H.S. में मद संख्या 1 "P/L C.C. 1:5:10 with 15% Plum---------" में मद संख्या "Earth work in Excavation for structure as per drawing and technical specification." से 3-00 RMT ज्यादा मात्रा का निष्पादन किया गया है। नियमानुसार जितनी RMT/R.D. की खुदाई की गई उतनी ही RMT/R.D. में मद संख्या 2 का निष्पादन किया जाना अपेक्षित था। उक्त कार्य में मद संख्या 1, 51.10 RMt निष्पादित की गई, जबकि मद संख्या 2 51.10 RMT & 3.00 Rmt=54.10 Rmt. निष्पादित की गई है एवं इस प्रकार मद संख्या 2 कुल 9.99 m3 अधिक निष्पादित निम्नविवरणानुसार की गई हैः–

3.00x1.50+0.76/2x2.85+3.05/2=9.99m3

नगर पंचायत द्वारा इस अधिक निष्पादित की गई मात्रा 9.99m3 का संविदाकार को ₹2550m3 की दर से कुल ₹25474.50 का अधिक भुगतान किया गया (माप पुस्तिका 18, पृष्ठ 100)

अतः संविदाकार को गलत तरीके से अधिक भुगतान की गई 9.99m3 (मद संख्या 2) की मात्रा ₹255474.50 उनसे वसूल की जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) निर्माण कार्य की समाप्ति उपरान्त संविदाकार को 100 बैग सीमेन्ट जारी करनाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य हेतु कुल 840 बैग सीमेन्ट का प्रयोग किया गया था एवं इसमें से 590 बैग सीमेन्ट संविदाकार को निम्नविवरणानुसार नगर पंचायत के स्टोर से जारी किया गया था एवं शेष 250 बैग सीमेन्ट संविदाकार द्वारा खुले बाजार से क्रय करने उपरान्त निर्माण कार्य में प्रयोग किया गया था। नगर पंचायत द्वारा भण्डार से सीमेन्ट निम्न विवरणानुसार जारी किया गया था।

क्र0सं0	इन्डेन्ट क्रमांक	दिनाँक	भण्डार से जारी करने की दिनाँक	भण्डार रजिस्टर पृ0सं0	जारी किया गया सीमेन्ट	टिप्पणी
1	569	17.12.13	09.01.2014	12	200 बैग	

2	588	06.02.14	06.02.2014	14	40 बैग
3	593	15.02.14	15.02.2014	14	50 बैग
4	597	17.02.14	17.2.2014	16	200 बैग
5	601	26.02.14	03.03.2014	17	100 बैग

निर्माण कार्य की प्रविष्टियों से सम्बन्धित माप पुस्तिका 18 पृष्ठ 97 के अनुसार उक्त कार्य दिनाँक 28.02.2014 को समाप्त हो गया था, किन्तु भण्डार से जारी सीमेन्ट के दिये गये उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 100 बैग सीमेन्ट कार्य समाप्ति के उपरान्त दिनांक 03.03.2014 को जारी किया गया, जोकि नियमानुसार सही नहीं है, क्योंकि कार्य समाप्ति उपरान्त सीमेन्ट उस कार्य हेतु जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में विभागीय स्तर पर जाँच करने उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए अन्यथा इस 100 बैग सीमेन्ट की वसूली संविदाकार से करने उपरान्त नगर पंचायत में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) संविदाकार को जारी आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार सीमेन्ट विभाग द्वारा जारी किया जाना था, किन्तु संविदाकार को कुल 840 बैग सीमेन्ट में से 590 बैग सीमेन्ट ही जारी किया गया तथा शेष 250 बैग संविदाकार द्वारा खुले बाजार से निर्गम दरों से अधिक दरो पर क्रय किया गया था। अतः निर्माण कार्य हेतु भण्डार से सीमेन्ट जारी न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये इस सन्दर्भ में विभागीय स्तर पर जाँच की जानी अपेक्षित है। क्योंकि उक्त निर्माण कार्य की सम्पूर्ण अवधि में विभागीय भण्डार में पर्याप्त मात्रा में सीमेन्ट उपलब्ध था।

(घ) नगर पंचायत द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन एवं विभागीय न्यायोचितता (Departmerntal Justification) से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

10 निर्माण कार्य "Repair of footpath loading from Bansi, PET House to Besari House, Ward No.2" में 75 बैग सीमेन्ट की अधिक वसूली करनाः–

नगर पंचायत द्वारा निर्माण कार्य "Repair of footpath loading from Bansi, PET House to Besari House, Ward No.2" का कार्य अनुबन्ध संख्या 881 दिनाँक 27.04.2015 द्वारा श्री सुरेश कुमार को आबंटित किया गया था। उक्त कार्य से सम्बन्धित व्यय वाउचर संख्या 22 दिनांक 08.9.2015 ₹194827 एवं माप पुस्तिका 18 पृष्ठ 185 से 191 की जाँच में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ पाई गई, जिनका निराकरण अपेक्षित हैः–

(क) माप पुस्तिका 18, पृष्ठ 185–191 एवं व्यय वाउचर की जाँच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य में संविदाकार से 95 बैग सीमेन्ट की वसूली ₹230 प्रति बैग की दर से की गई है, किन्तु सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु भण्डार से Indent इन्डेन्ट संख्या 655 दिनांक 28.5.2015 द्वारा मात्र 20 बैग सीमेन्ट ही जारी सीमेन्ट किया गया था। अतः जारी किये गये 20 बैग सीमेन्ट के विरूद्ध 95 बैग सीमेन्ट की वसूली करना संदेहास्पद है, क्योंकि सीमेन्ट भण्डार रजिस्टर अनुसार दिनांक 27.4.2015 से 28.5.2015 तक उक्त निर्माण कार्य हेतु अन्य कोई सीमेन्ट जारी नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका 18 पृष्ठ 185 अनुसार उक्त निर्माण कार्य दिनाँक 27.4.2015 को प्रारम्भ हुआ एवं दिनांक 20.5.2015 को पूर्ण हो गया था। अतः निर्माण कार्य के पूर्ण होने के आठ दिन उपरान्त भण्डार से इस कार्य हेतु सीमेन्ट जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) निर्माण कार्य से सम्बन्धित व्यय वाउचर की जाँच में पाया गया कि संविदाकार को देय कुल राशि में ₹4500 का अधिक भुगतान अग्रिम धन (Earnest Money) के रूप में किया गया दर्शाया गया है एवं इस राशि पर भी आय कर, बिक्री कर आदि की गणना की गई है। संविदाकार के बिल में जमा की गई इस ₹4500 का औचित्य स्पष्ट करते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जाए एवं कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) नगर पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, टेन्डर, तुलनात्मक विवरण, कार्य आबंटन पत्र आदि अभिलेख जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। अंकेक्षण द्वारा उक्त अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 001/2017 दिनाँक 17.01.2017 द्वारा नगर पंचायत प्रशासन से उठाया गया था किन्तु अंकेक्षण अवधि में इस अधियाचना का कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त वर्णित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उनकी तदानुसार जाँच की जा सके।

11 निर्माण कार्य "Strengting of Drain between ward No. 394 toward khed near jamsai Park" RD-00/100 to 00/150 में संविदाकार को 0.18 लाख का अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताओं के सन्दर्भ में:–

नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा निर्माण कार्य "Strengthing of Drain between ward No. 394 toward khed near Jamsai Park का कार्य आबंटन पत्र संख्या N.P/works/2013-2456-2457 दिनाँक 09.12.2013 द्वारा श्री सुशील कुमार, गाँव जमसाई को आबंटित किया गया था। उक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल जोकि वाउचर संख्या 11 दिनांक 04.6.2014 द्वारा पारित किया गया कि जाँच में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है, जिनका निराकरण अपेक्षित हैः–

(क) उक्त कार्य की क्रम संख्या 2 "P/L C.C. 1:5:10 with 15% Plum and curing complete." जोकि माप पुस्तिका 18 पृष्ठ 81–87 में दर्ज है के पृष्ठ 83 के अनुसार इस मद का कुल योग 342–18m3 बनता है, जबकि माप पुस्तिका में इसे 344.54m3 दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त R.H.S. में 2.80 m की अतिरिक्त R.D. दर्शाई गई है, जोकि Excavation in earth work" मद में नहीं थी। इस प्रकार उक्त मद का संविदाकार को 5.88m3 का अतिरिक्त भुगतान निम्नविवरणानुसार किया गया है।

अधिक दर्शाई गई मात्रा	344.54-342.18	2.36m3
R.D. जो देय नहीं थी	2.80x0.60x2.10	3.52m3
	योग	5.88m3
	अधिक किया गया भुगतान	5.88m3x2550
		मात्रा x दर/m3
		₹14994

अतः गलत गणना व देय मात्रा से अधिक R.D. दर्शाकर किये गये भुगतान ₹14994 की वसूली संविदाकार से की जानी अपेक्षित है।

(ख) मद संख्या 3 "Prov. weep holes in brick Masonery/stone Masonery and return wall complete as per drawing" जिसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका 18 में पृष्ठ संख्या 084 में दर्ज है, की कुल मात्रा Record Entry एवं Abstract of cost अनुसार 55 नं0 है को बिल में 75 नं0 दर्शाकर 20 नं0 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः 20 नं0 अधिक दर्शाई गई मद संख्या 3 की मात्रा की वसूली ₹125 प्रति नं0 की दर से कुल ₹2500 संविदाकार से वसूली करने उपरान्त जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) उक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल अनुसार इस कार्य हेतु कुल 820 बैग सीमेन्ट का प्रयोग किया गया है जिसमें से 500 बैग सीमेन्ट नगर पंचायत स्टोर से जारी किया गया है एवं शेष 320 बैग सीमेन्ट संविदाकार द्वारा खुले बाजार से क्रय किया गया दर्शाया गया है, जिसकी जाँच में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ पाई गई।

(i) संविदाकार को जारी आंबटन पत्र की शर्त के अनुसार सीमेन्ट स्टोर से जारी किया जाना था एवं खुले बाजार से सीमेन्ट क्रय करने का कोई प्रावधान नहीं था। अतः संविदाकार द्वारा सीमेन्ट को खुले बाजार से क्रय करके निर्माण कार्य में प्रयोग करने के कारण न केवल अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन हुआ है अपितु अधिक दर पर बाजार से सीमेन्ट क्रय करने के कारण कार्य की गुणवता भी प्रभावित होने की सम्भावना/आशंका है, जिस बारे में विभागीय स्त्तर पर जाँच करने उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख अनुसार संविदाकार द्वारा खुले बाजार से सीमेन्ट का क्रय दिनांक 03.02.2014 व 16.02.2014 को क्रमशः 200 बैग @₹330 प्रति बैग व 120 बैग @ ₹330 प्रति बैग की दर से किया गया है, जबकि सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर अनुसार दिनाँक 03.02.2014 को स्टोर में 241 बैग सीमेन्ट (पृष्ठ संख्या 14) एवं 16.2.2014 को 400 बैग सीमेन्ट (पृष्ठ संख्या 15) उपलब्ध था। अतः स्टोर में सीमेन्ट उपलब्ध होने के बावजूद खुले बाजार से सीमेन्ट का क्रय संदेहास्पद है।

अतः संविदाकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत एवं नगर पंचायत स्टोर में सीमेन्ट उपलब्ध होने के बावजूद खुले बाजार से सीमेन्ट क्रय करने उपरान्त निर्माण कार्य में प्रयोग करने हेतु विभागीय जाँच करने उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा यदि सीमेन्ट का दुरूपयोग किया गया है तथा निर्माण कार्य में गुणवत्ता प्रभावित हुई है तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(घ) नगर पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन एवं विभागीय न्यायोचितता (Departmental Justification) से सम्बन्धित अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

12 निर्माण कार्य Park at dabrog near IPH office sarkaghat PCC ward No. 7 में पाई गई अनियमितताओं के सन्दर्भ में:–

नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा निर्माण कार्य Park at Dabrog near IPH office Sarkaghat PCC wark ward No. 7 Sh. Protection wall to park near IPH office 00/4.80 to 00/34.50 का निर्माण कार्य आबंटन पत्र संख्या 2474–2475 दिनांक 09.12.2013 द्वारा श्री अरूण कुमार को आबंटित किया गया था। उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित भुगतान बिल/वाउचर संख्या 14 दिनाँक 4.6.2014 ₹322625 एवं सम्बन्धित माप पुस्तिका 19 पृष्ठ

287–291 की जाँच में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ पाई गई है, जिनका निराकरण अपेक्षित हैः–

(क) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उक्त वर्णित निर्माण कार्य में कुल 290 सीमेन्ट बैग का प्रयोग किया गया दर्शाया गया था। जाँच में पाया गया कि कुल 290 सीमेन्ट बैग में से विभाग द्वारा संविदाकार को इन्डेन्ट संख्या 613 दिनांक 22.4.2014 स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 20 अनुसार मात्र 40 सीमेन्ट बैग ही जारी किये गये थे एवं शेष 250 सीमेन्ट बैग संविदाकार द्वारा खुले बाजार से दिनांक 03.03.2014 को क्रय किये गये थे। नगर पंचायत के सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि दिनाँक 03.03.2014 को स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 17 अनुसार विभाग के पास स्टॉक में 551 सीमेन्ट बैग उपलब्ध थे।

नगर पंचायत स्टॉक में सीमेन्ट उपलब्ध होने के बावजूद संविदाकार द्वारा उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट का क्रय खुले बाजार से क्रय करना अनियमित व आपत्तिजनक है, क्योंकि आबंटन पत्र की शर्त अनुसार निर्माण कार्य हेतु सीमेन्ट विभाग द्वारा जारी किया जाना था।

अतः संविदाकार द्वारा खुले बाजार से अधिक दरों पर सीमेन्ट का क्रय एवं उपयोग करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं विभाग द्वारा संविदाकार को सीमेन्ट जारी न करने का भी औचित्य स्पष्ट किया जाए। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार द्वारा खुले बाजार से अधिक दरो ंपर सीमेन्ट क्रय करने उपरान्त निर्माण कार्य में उसका उपयोग करने से कार्य की गुणवता भी प्रभावित हुई है।

(ख) नगर पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, टेन्डर, तुलनात्मक विवरण, अनुबन्ध आदि से सम्बन्धित अभिलेख भी वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अंकेक्षण द्वारा उक्त अभिलेख जाँच हेतु उपलब्ध करवाये जाने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 001/2017 दिनांक 17.01.2017 द्वारा मामला नगर पंचायत प्रशासन से उठाया गया था, किन्तु उक्त अधियाचना का उत्तर अंकेक्षण के दौरान नहीं दिया गया। अतः उक्त वर्णित अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाने बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये इसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उसकी तदानुसार जाँच की जा सके।

13 निर्माण कार्य समाप्ति के दो माह उपरान्त उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट जारी करनाः–

नगर पंचायत द्वारा "निर्माण कार्य Repair of footpath near peepal Tyala towards Dharampur Road." का आंबटन पत्र संख्या 2462–2463 दिनांक 09/2013 द्वारा श्री भाग सिंह को आंबटित किया गया था। उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित व्यय वाउचर 29 दिनांक

09.06.2014 एवं सम्बन्धित माप पुस्तिका 18 पृष्ठ 114 से 121 की जाँच में पाया गया कि संविदाकार द्वारा यह कार्य माह 12/2013 में प्रारम्भ कर माह 02/2014 (माप पुस्तिका 18 पृष्ठ 114) में पूर्ण कर दिया गया था। किन्तु नगर पंचायत द्वारा संविदाकार को इस कार्य हेतु सीमेन्ट इन्डेन्ट संख्या 574 दिनांक 03.01.2014 द्वारा सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 19 द्वारा दिनांक 22.4.2014 को 30 बैग जारी किया गया।

अतः निर्माण कार्य पूर्ण होने के दो माह उपरान्त इस कार्य हेतु सीमेन्ट के 30 बैग जारी करना अनियमित व आपत्तिजनक है एवं इससे सीमेन्ट के दुरूपयोग/निर्माण कार्य के पूर्ण होने पर ही संदेह है जिस बारे में में विभागीय स्तर पर पूर्ण जाँच करने उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए अन्यथा इस 30 बैग सीमेन्ट की वसूली निर्गम दरो ंसे दोगुनी दरों पर सम्बन्धित संविदाकार से करने उपरान्त नगर पंचायत में जमा करवाई जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) विभाग द्वारा उक्त निर्माण कार्य की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, टेन्डर सूचना, टेन्डर आदि से सम्बन्धित अभिलेख भी जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे आगामी अंकेक्षण यह प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

14 स्टॉक में अनुपयुक्त पड़े 719 बैग सीमेन्ट एवं स्टॉक रजिस्टर में पाई गई अन्य अनियमितताओं के सन्दर्भ में:–

नगर पंचायत के सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि उक्त रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। जाँच में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ पाई गई, जिनका निराकरण अपेक्षित है:–

(क) नगर पंचायत द्वारा सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर दिनांक 28.5.2015 तक ही भरा गया है एवं उसके उपरान्त अंकेक्षण अवधि तक उसमें कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई है। स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 27 के अनुसार दिनांक 28.5.2015 को स्टॉक में सीमेन्ट के 719 बैग उपलब्ध थे एवं जिस में से 540 बैग सीमेन्ट दिनांक 21.5.2015 एवं 22.5.2015 को प्राप्त किये गये थे।

विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दिनांक 8.9.2015 को किये गये सत्यापन अनुसार स्टोर में इस दिनांक को 719 बैग सीमेन्ट शेष था एवं उसके उपरान्त दिनांक 31.3.2016 तक न तो कोई सीमेन्ट की प्राप्ति एवं न ही उसके निर्गम की प्रविष्टि दर्ज है, जिससे स्पष्ट है कि नगर पंचायत स्टोर में 719 बैग सीमेन्ट उपलब्ध है।

सीमेन्ट एक खराब होने वाली वस्तु है एवं इतने अधिक लम्बे समय से इसका प्रयोग निर्माण कार्यों हेतु न करने से इसके खराब होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा

सकता है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 21.5.2015 एवं 22.5.2015 को 540 बैग सीमेन्ट प्राप्त किया गया दर्शाया है एवं यदि स्टोर में पहले से सीमेन्ट उपलब्ध था तो बिना आवश्यकता के इतनी अधिक मात्रा में सीमेन्ट का क्रय करना एवं इसका भण्डारण करना तथा क्रय सीमेन्ट का निर्माण कार्यों हेतु प्रयोग न करना अनियमिता व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण द्वारा इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 003/2017 दिनांक 21.01. 2017 द्वारा यह प्रकरण नगर पंचायत प्रशासन से उठाया गया था एवं इस सन्दर्भ में उनसे निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना माँगी गई थीः–

(i) क्या नगर पंचायत द्वारा दिनांक 28.5.2015 के उपरान्त विकास कार्यों हेतु कोई सीमेन्ट भण्डार से जारी किया गया है अथवा नहीं?

(ii) क्या उक्त वर्णित 719 बैग सीमेन्ट अभी भी स्टोर में उपलब्ध है एवं अगर उपलब्ध है तो सीमेन्ट की वर्तमान स्थिति क्या है, अर्थात यह उपयोग करने योग्य है अथवा नही?

(iii) क्या भण्डारण किया गया सीमेन्ट नगर पंचायत के अपने भवन में भण्डारण है अथवा किराये के भवन में?

(iv) अगर सीमेन्ट का भण्डारण किराये के भवन में किया गया है तो माह 05/2015 से 12/2016 तक भवन के किराये के रूप में दी गई राशि का विवरण दिया जाए।

(v) सीमेन्ट की निर्गम दर क्या थी?

नगर पंचायत द्वारा उक्त अंकेक्षण अधियाचना का वर्तमान अंकेक्षण के दौरान कोई उत्तर नहीं दिया गया यद्यपि अंकेक्षण अधियाचनाओं का उत्तर देने हेतु मामला पुनः अधियाचना संख्या 005/2017 दिनांक 31.01.2017 द्वारा नगर पंचायत प्रशासन से उठाया गया था।

अतः इस सम्पूर्ण प्रकरण की विभाग द्वारा उच्च स्तरीय जाँच करवाई जाए एवं वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए तथा यदि यह सीमेन्ट भण्डार में उपलब्ध है तथा प्रयोग करने योग्य नहीं है तो इस हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों से इस 719 बैग सीमेन्ट की राशि उसके भण्डारण व्यय एवं दण्ड ब्याज सहित वसूली जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

15 नगर पंचायत के वाहन (टिप्पर) एच0पी0–28–5082 की लॉग बुक में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के सन्दर्भ में:–

नगर पंचायत सरकाघाट के वाहन संख्या एच0पी.–28–5082 की लॉग बुक की जाँच में पाया गया कि उक्त वाहन की औसत तेल खपत 4 कि0मी0 प्रति लीटर दर्शाई जा रही है जिसका निर्धारण हिमाचल पथ परिवहन निगम की सरकाघाट कार्यशाला से माह जनवरी

2017 में करवाया गया है एवं जिस की प्रविष्टि लॉग बुक के पृष्ठ संख्या 10 में दर्ज की गई है। किन्तु वाहन की लॉग बुक में सांयोगिक (Random) जाँच करने पर पाया गया कि वाहन की औसत तेल खपत 4 कि0मी0 प्रति लीटर लिये जाने पर कुछ मामलों में माह के अन्त में शेष डीजल की मात्रा नकारात्मक हो जा रही है, जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	माह	माह के प्रारम्भ में डीजल की मात्रा	माह में वाहन में डाले गये डीजल की मात्रा	योग (डीजल की कुल मात्रा) (ली0)	लॉग बुक पृ0सं0	वाहन द्वारा माह में तय की गई कुल दूरी	माह में दर्शाई गई डीजल की खपत (ली0)	दर्शाई गई औसत खपत (प्रति ली0)	अन्तिम शेष डीजल का लीटर
1	4/15	44.5 ली0	120 ली0	164.5	38	398 कि0मी0	174.50	4	(–)10
2	7/15	17.25 ली0	120 ली0	137.25	46	592कि0मी0	148.00	4	(–)10.75
3	9/15	18.75 ली0	120 ली0	138.75	50	573कि0मी0	143.25	4	(–)5

अतः उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि वाहन की औसत तेल खपत 4.00 कि0मी0/लीटर दर्शाने पर लॉग बुक अनुसार माह के अन्त में शेष डीजल नकारात्मक (Minus) हो जा रहा है, जोकि सम्भव नहीं है, क्योंकि माह के अन्त में वाहन में डीजल नकारात्मक नहीं हो सकता है।

इसी प्रकार अंकेक्षण द्वारा प्रायोगिक/सांयोगिक (Rondomly) कुछ अन्य माह में यात्राओं व वाहन में डाले गये डीजल की जाँच में पाया गया कि वाहन की औसत डीजल खपत दर्शाई गई औसत खपत से भिन्न आ रही थी, जिसके कुछ मामले निम्न वर्णित है।

(i) लॉग बुक अनुसार दिनांक 01.05.2014 को वाहन में 21 लीटर डीजल शेष था एवं इस मास में प्रथम बार दिनांक 7.5.2014 को डीजल डाला गया, जबकि वाहन द्वारा 1.5.2014 से 6.5.2014 तक 204 कि0मी0 की दूरी तय की गई एवं इस प्रकार डीजल की औसत खपत 9.71 कि0मी0 प्रति लीटर (204/21) दर्ज की गई।

(ii) इसी प्रकार माह 09/2015 के प्रारम्भ यानि दिनांक 1.9.2015 को लॉग बुक अनुसार वाहन में 18.75 लीटर डीजल शेष था एवं इस माह में प्रथम बार डीजल 9.9.2015 को 60 लीटर डाला गया। वाहन द्वारा दिनांक 1.9.2015 से 8.9.2015 तक 158 कि0मी0 की दूरी तय

की गई एवं इस प्रक्रार डीजल की औसत खपत 158÷18.75=8.42 कि0मी0 प्रति लीटर दर्ज की गई।

उपरोक्त वर्णित प्रकरणों से स्पष्ट है कि वाहन में डीजल की औसत खपत बारे दर्ज आंकडे वास्तविकता से भिन्न है, क्योंकि किसी माह में औसत तेल खपत 4.00 कि0मी0 प्रति लीटर दर्ज करने पर वाहन में डीजल की शेष मात्रा नकारात्मक (Minus) हो जा रही है एवं अन्य प्रकरण में औसत खपत 4.00 कि0मी0 प्रति लीटर से अत्याधिक ज्यादा आ रही है।

अतः इस सन्दर्भ में विभागीय स्तर पर पूर्ण जाँच करने उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए एवं डीजल की सम्भावित चोरी (Pilferage) को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाएं ताकि नगर पंचायत निधि के दुरूपयोग को रोका जा सके।

16 मलिन बस्ती योजना (IHSDP) में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गृह निर्माण हेतु प्रदान ₹17.75 लाख का सम्भावित दुरूपयोगः–

नगर पंचायत द्वारा आई0एच0एस0डी0पी0 (Integrated Housing slum Development Project) के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की राशि में से मलिन बस्ती में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गृह निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जानी थी। नगर पंचायत द्वारा इस हेतु कुल 130 परिवारों का चयन किया गया था एवं इन्हें प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्त के रूप में क्रमशः ₹36219, ₹36219 एवं ₹48292 कुल ₹120730 गृह निर्माण हेतु प्रति परिवार वितरित की जानी थी।

नगर पंचायत द्वारा इन चयनित परिवारों से किये गये अनुबन्ध की क्रम संख्या 8 अनुसार प्रथम किश्त का भुगतान गृह कार्य Plinth लेबल तक पूरा हो जाने के पश्चात किया जाना था एवं शुरू किया गया कार्य किसी भी कारणवश बीच में नहीं छोड़ना था। अनुबन्ध की क्रम संख्याः 6 अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रथम किश्त की अदायगी के छः माह के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना अपेक्षित था एवं निर्मित गृह का निरीक्षण सचिव, नगर पंचायत सरकाघाट, या शहरी विकास विभाग के किसी अन्य अधिकृत अधिकारी से करवाया जाना था।

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट–14"** अनुसार कुल 130 लाभार्थियों में से 33 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान वर्ष 2012–13 में कर दिया गया था एवं इनमें से 16 लाभार्भियों को दूसरी किश्त का भुगतान 31.3.2016 तक कर दिया गया था, जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–14 (1)"** में

दर्ज है। इन 33 लाभार्थियों में से 17 लाभार्थियों का प्रथम किश्त के रूप में ₹615723 तथा शेष 16 लाभार्थियों को प्रथम व द्वितीय किश्त के रूप में ₹1159008 कुल ₹1774731 का भुगतान दिनांक 31.3.2016 तक किया गया था। अनुबन्ध पत्र में दी गई शर्त के अनुसार यदि प्रार्थी घर बनाने में असमर्थ रहता है तो उसे सरकार से प्राप्त राशि 18**%** ब्याज सहित वापस की जानी थी।

अतः उपरोक्त 33 परिवारों द्वारा अनुबन्ध में वर्णित 6 माह की शर्त के विरूद्ध लगभग चार वर्षों तक गृह निर्माण न करना एवं उसे उपयोग में न लाना एक ओर नगर पंचायत के साथ किये गये अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन है वहीं दूसरी ओर इस राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर पूर्ण जाँच करने उपरान्त अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन के कारण इस समस्त ₹1774731 की वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से 18**%** ब्याज सहित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

17 संविदाकारों से कटौती किये गये लेबर सैस ₹0.67 लाख को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवानाः—

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 में विभिन्न संविदाकारों से लेबर सैस के रूप में ₹66526 की कटौती की गई थी, किन्तु अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा 1**%** लेबर सैस के रूप में काटी गई इस राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया था जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	संविदाकार का नाम	भुगतान की तिथि	बिल की कुल राशि	लेबर सैस की राशि (₹)
1	सन्तोष कुमार	11.4.2014	74716	747
2	आशीष कुमार	24.4.2014	179333	1793
3	रणजीत सिंह	24.4.2014	566111	5661
4	संजय कुमार ठाकुर	24.04.2014	308663	3086
5	रामजन शेख	28.4.2014	47164	471
6	सुशील कुमार	4.6.2014	916933	9169
7	अरूण कुमार	4.06.2014	322625	3226
8	रणजीत सिंह	6.6.2014	656232	6562
9	संजय कुमार राणा	9.6.2014	957776	9577
10	भाग सिंह	9.6.2014	46873	468
11	ओम प्रकाश	28.7.2014	381755	3817
12	संजीव कुमार	14.11.2014	503544	5035

13	अशोक कुमार	15.11.2014	1110203	11102
14	सुरेन्द्र डोगरा	15.11.2014	90317	903
15	सतीश कुमार	15.11.2014	100000	1302
16	सुरेश कुमार	20.01.2015	166391	1664
17	सुरेश कुमार	08.09.2015	194327	1943
			योग	**66526**

अतः संविदाकारों के भुगतान बिलों से **1%** लेबर सैस के रूप में काटी गई इस राशि को सम्बन्धित विभाग के पास जमा न करवाने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस राशि को अविलम्ब सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

18 सेवा पंजिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

नगर पंचायत सरकाघाट के कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवा पंजिकायें जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में नगर पंचायत कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पंजिकाओं की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकायें आगामी अंकेक्षण पर प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि उनकी तदानुसार जाँच अंकेक्षण में की जा सके।

19 टैक्सी किराये के रूप में ₹2120 का अनियमित रूप से भुगतानः–

नगर पंचायत के चयनित मासों के अभिलेख की जाँच में पाया गया कि वाउचर संख्या 32 दिनांक 16.9.2015 द्वारा ₹2120 का भुगतान श्री सुरेन्द्र कुमार टैक्सी सर्विस, घुमारवीं को उनके बिल संख्या क्रमशः 117 दिनांक 3.9.2015 ₹1060 एवं 119 दिनांक 16.9. 2015 ₹1060 का घुमारवीं से सरकाघाट एवं भरेड़ी एवं वापसी हेतु ₹10–10 प्रति कि0मी0 की दर से किया गया है। जाँच में पाया गया कि उक्त टैक्सी द्वारा किस अधिकारी द्वारा यात्रा की गई है का वर्णन उल्लेखित नहीं है। इसके अतिरिक्त टैक्सी को किस उद्देश्य हेतु किराये पर लिया गया था एवं टैक्सी भरेड़ी किस उद्देश्य हेतु ले जाई गई का वर्णन भी टैक्सी बिल/भुगतान वाउचर के साथ संलग्न नहीं है।

अतः स्पष्ट वर्णन/विवरण के अभाव में उक्त भुगतान को नियमित नहीं ठहराया जा सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उस अवधि में टैक्सी हेतु सरकार की निर्धारित दर ₹6 प्रति कि0मी0 थी। अतः स्पष्ट विवरण के अभाव में यह भुगतान अनियमित व आपत्तिजनक है, जिसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारी/भुगतान प्राप्तकर्ता से करने उपरान्त जमा करवाई जाए एवं कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

20 **लघु आपत्ति विवरणीः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

21 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कई वर्षों से लम्बित अनिर्णीत पैरों/प्रतिवेदनों के निस्तारण हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/–

(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15) V (75)/81 खण्ड–4–4682–4683,दिनांक–26–07–17 शिमला–9.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2. को पैरा संख्या 1 (ख) पर वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2. सचिव, नगर पंचायत सरकाघाट, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अंकेक्षण की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

परिशिष्ट ''1'' **पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित**

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 8/81 से 12/82

1	पैरा– 7 (2)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85

1	पैरा–5 (ए, बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 व 8	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (2)(3)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा–10 (ए)(सी)(डी)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/88

1	पैरा–7 (iv)(v)(viii)	अनिर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (सी)(जी)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (ए)(बी)	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (ए)(बी)(सी)(डी)(एफ)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 03/90

1	पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत
2	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–13 (क)(ख)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 03/93

1	पैरा–8 (5)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–11	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (क)(ख)	अनिर्णीत
6	पैरा–13 (क)(ख, ग)	अनिर्णीत
7	पैरा–14 (7)	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/93 से 3/96

1	पैरा–5 (1, 2, 3)	अनिर्णीत	
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–8 (क से छ)	अनिर्णीत	
4	पैरा–9 (क, ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा–10 (क)(ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा–10 (ग)	निर्णीत	(अभिलेख के सत्यापन उपरान्त)
7	पैरा–10 (घ)(ङ)(च)(छ)(ज)(ञ)(ट)(ठ)(ड)(ण)(त)(थ)(द)(न)(प)	अनिर्णीत	
8	पैरा–11	अनिर्णीत	
9	पैरा–12	अनिर्णीत	
10	पैरा–13 (1, 2)	अनिर्णीत	
11	पैरा–14 (i से xii)	अनिर्णीत	

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 03/2001

1	पैरा–5	अनिर्णीत	
2	पैरा–6 (क)	निर्णीत	(बकाया किराये से सम्बन्धित एवं वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा–8	अनिर्णीत	

5	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत	
6	पैरा–13 (क) (1 से 4)	अनिर्णीत	
7	पैरा–13 (ग) (क से ग)	अनिर्णीत	

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 03/2007

1	पैरा–7 (i)(v)	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (vi)	अंशतः रूप से निर्णीत	
3	पैरा–7 (vii)(viii)(ix)	अनिर्णीत	

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 03/12

1	पैरा–6 (क)(ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (क)(ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–9 (ग)(घ)(ङ)(च)	अनिर्णीत	
4	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	
	पैरा–10 (ख)	निर्णीत	(₹36403 की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख का सत्यापन करने उपरान्त)
	पैरा–10 (ग)(घ)	अनिर्णीत	
5	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	
	पैरा–11 (ख)	निर्णीत	(₹520 की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख के सत्यापन उपरान्त)
	पैरा–11 (ग) से (ञ)	अनिर्णीत	
6	पैरा–11 (ठ) (ii)	अनिर्णीत	
7	पैरा–11 (ठ) (iii)	अनिर्णीत	
8	पैरा–12 (क)	अंशतः निर्णीत	
8	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत	
9	पैरा–13 (क)	निर्णीत	(अभिलेख के सत्यापन उपरान्त)

10	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा–14 (क)(ख)(ग)(घ)(ङ)	अनिर्णीत	
12	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत	

12 अंकेक्षण एवं निरीखण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क से सम्बन्धित)
2	पैरा–4 (क)	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित)
3	पैरा–4 (ख)	निर्णीत	(बैंक शेष से सम्बन्धित)
4	पैरा–4 (ग)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
5	पैरा–4 (घ)	निर्णीत	(समाधान विवरणी)
6	पैरा–5 (क)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
7	पैरा–6	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
8	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत	
9	पैरा–6 (2)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
10	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत	
11	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	
12	पैरा–8 (क) से (घ)	अनिर्णीत	
13	पैरा–9 (क) से (ग)	अनिर्णीत	
14	पैरा–10 (क) (ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा–11	अनिर्णीत	
16	पैरा–12 (क) (i से iii)	अनिर्णीत	
17	पैरा–13	अनिर्णीत	
18	पैरा–14	अनिर्णीत	